संख्या-198 / 2015 / 1315आ.न.यो. / 9-8-15-12आ.न.यो(बजट) / 2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद-जमानियां, जनपद-गाजीपुर को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद-जमानियां, जनपद-गाजीपुर को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-4 / 1472आ.न.यो. / 9-8-13-4आ.न.यो.(बजट) / 2013 दिनांक 09.1.2014 द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका परिषद-जमानियां, जनपद-गाजीपुर के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु रूपये 25.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 12.50 लाख पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष नगर पालिका परिषद-जमानियां, जनपद-गाजीपुर द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उक्त 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि रूपये 12.50 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अत: आदर्श नगर योजना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में जारी किये गये शासनादेश दिनांक 09.01.2014 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद-जमानियां, जनपद-गाजीपुर को अवशेष धनराशि रूपये 12.50 लाख (**रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र**) चालू कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को नागर निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.3.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निकायों के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

4. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त् निकायों को अवमुक्त् की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.6.2015 तक के लिए निर्धारित है। अत: उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-198/2015/1315(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित अक्ष्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in